



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1266 / 2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 15.07.2025

निर्णय पारित किया गया: 23.07.2025

दिलेश निषाद पिता नारायण निषाद, उम्र लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय- मजदूरी, निवासी ग्राम बोतल्दा, थाना।
खरसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़।, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

--- अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस स्टेशन खरसिया के द्वारा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़।, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 1400 / 2019

रूपलाल यादव पिता साधुराम यादव उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम बटाल्डा, पुलिस थाना खरसिया, जिला-
रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस स्टेशन खरसिया के द्वारा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़।, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी



अपीलकर्ताओं हेतु: श्री ऋषि राहुल सोनी एवं श्री विजय कुमार कश्यप, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु: सुश्री नंद कुमारी कश्यप, पैनल अधिवक्ता

युगल पीठ :

माननीय रजनी दुबे, न्यायाधीश

एवं

माननीय अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार

1. चूँकि उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।
2. सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत दायर इन अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989) (संक्षेप में, 'अधिनियम, 1989'), रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग द्वारा विशेष प्रकरण(अत्याचार अधिनियम) संख्या 20/2018 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंड के आदेश दिनांक 22.06.2019 की वैधता, विधिमान्यता तथा औचित्यता को चुनौती दी है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था, परंतु उन्हें दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार दंड पारित किया गया :-

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) के अंतर्गत	20 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास।
यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 4 के अंतर्गत	5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।



(दोनों दंड को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया)

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि पीड़िता, अनुसूचित जाति की 18 वर्ष से कम आयु की एक नाबालिग लड़की, के साथ अभियुक्तगण ने बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष का आगे का प्रकरण यह है कि 21.01.2018 को शाम लगभग 6:30 बजे, पीड़िता अपनी सहेली अंजू साहू के घर से घर लौट रही थी। रास्ते में, अशोक सारथी नामक व्यक्ति के घर के पास, दोनों अभियुक्तगण ने उसे रोक लिया और जबरन एक सुनसान इलाके में ले गए। अपीलकर्ता रूपलाल ने पीड़िता को चीखने से रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया और फिर वे उसे उक्त घर के पीछे स्थित एक शौचालय में ले गए, उसके कपड़े उतार दिए और एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया और अपराध करने के बाद, दोनों अभियुक्तगण मौके से भाग गए। इसके बाद, किसी तरह पीड़िता घर लौटी और घटना के बारे में किसी को बताए बिना सो गई। जब उसकी माँ ने उसे खाने के लिए कहा, तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे भूख नहीं लग रही है। शर्म और डर के कारण, पीड़िता ने तुरंत घटना के बारे में नहीं बताया। हालाँकि, उसकी माँ द्वारा लगातार पूछताछ करने पर, पीड़िता ने अंततः पूरी घटना का खुलासा किया। उसकी माँ ने फिर पीड़िता के पिता को सूचित किया, और बाद में प्रकरण की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर, 24.01.2019 को अभियुक्तगण के खिलाफ लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी-1) दर्ज की गई है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना खरसिया में अभियुक्तगण के खिलाफ एफआईआर (एक्स.पी-6) दर्ज की गई है। अन्वेषण के दौरान, पीड़िता के माता-पिता की सहमति प्र.पी-3 के तहत प्राप्त की गई और उसके बाद, पीड़िता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया, जहाँ पी.डब्ल्यू.-3 डॉ. हेमलता राठिया ने पीड़िता की परीक्षण किया गया और पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का कोई संकेत नहीं पाया और न ही पीड़िता के शरीर पर आंतरिक या बाहरी रूप से कोई चोट पाई और प्र.पी-11 के तहत उसे एमएलसी रिपोर्ट दी। प्र.पी-4 के तहत, पीड़िता से उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पहली कक्षा की अंकतालिका, मूल्यांकन पत्रक और आठवीं कक्षा का प्रगति कार्ड जब्त किया गया और प्र.पी-5 के तहत, पीड़िता के अंडरवियर जब्त किए गए। अभियुक्तगण को प्र.पी-26 और 27 के तहत अभिरक्षा में लिया गया और उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया, जहाँ पी.डब्ल्यू.-2 डॉ. सौरभ अग्रवाल ने उनका की परीक्षण किया तथा यह पाया कि वे यौन संबंध बनाने में सक्षम थे। प्र. पी-13 और 14 के तहत, अभियुक्तगण के अंतर्वस्त्र जब्त किए गए। पीड़िता के पिता से, प्र. पी-15 के तहत, पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र जब्त किया गया। प्र. पी-17 के तहत, पीड़िता का दाखिल खारिज रजिस्टर जब्त किया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 25.09.2000 अंकित है और उसकी एक प्रति प्र. पी-18 सी के तहत उपलब्ध है। प्र. पी-25 के तहत, पीड़िता के योनि स्वैब और द्रव स्लाइड जब्त की गई। जब्त वस्तुओं को प्र. पी-29 के तहत रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट प्र. पी-34 ए के अनुसार, जब्त वस्तुओं पर वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाए गए, अर्थात् 'ए से ई' तक जिसे जब्त किया गया।



4. उचित अन्वेषण के बाद, साक्षियों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। अभियुक्तगण के खिलाफ क्षेत्राधिकार वाली दाण्डिक न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया और प्रकरण विचारण न्यायालय को सौंप दिया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अपने अपराध से इनकार कर दिया और यह कहते हुए बचाव में प्रवेश किया कि उन्होंने अपराध नहीं किया है।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए 14 साक्षियों का परीक्षण किया 36 दस्तावेज प्रदर्शित किए। अपने बचाव में, अभियुक्तगण ने तीन साक्षियों अर्थात डीडब्ल्यू-1 से डीडब्ल्यू-3 की जांच की और 4 दस्तावेज अर्थात एक्सस.डी-1 से डी-4 प्रदर्शित किए। अभियुक्तगण के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, अभियुक्तों को निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित अपराध के लिए दोषी ठहराया और दण्डित किया है, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश पर प्रश्न उठाया गया है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराने में त्रुटि की है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण कमजोर है और उसमें विसंगतियाँ और विरोधाभास हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभिलेखों में ऐसा कोई ठोस और निर्णायक साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि हालांकि एफएसएल रिपोर्ट ने जब्त वस्तुओं पर मानव शुक्राणुओं और वीर्य धब्बों की उपस्थिति का संकेत दिया है, लेकिन इन शुक्राणुओं और वीर्य धब्बों को अपीलकर्ताओं से निर्णायक रूप से जोड़ने के लिए कोई डीएनए रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लाई गई, जिससे अपराधियों के रूप में उनकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि घटना 21.01.2018 को हुई, परंतु एफआईआर 24.01.2018 को दर्ज की गई और इसके लिए अभियोजन पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि पीड़िता द्वारा जन्म दिया गया बच्चा बलात्कार की कथित घटना से पैदा हुआ था। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश को रद्द किया जाए और अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाए। अलामेलु और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य (2011) 2 एससीसी 385 में रिपोर्ट किया गया, रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एससीसी 170 में रिपोर्ट किया गया, निर्मल प्रेमकुमार और अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। पुलिस निरीक्षक द्वारा 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 260 में रिपोर्ट किया गया, लल्लीराम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 10 एससीसी 69 में रिपोर्ट किया गया, डोला उर्फ डोलगोनबिंदा प्रधान एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य एआईआर 2018 एससी 4020 में रिपोर्ट किया गया, राधू



बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) 12 एससीसी 57 में रिपोर्ट किया गया, कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी 130 में रिपोर्ट किया गया और प्रकाश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2019) 5 एससीसी 628 में रिपोर्ट किया गया और संजय सिंह एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय सीआरए संख्या 1020/2019 में 10.02.2025 को पारित किया गया।

8. दूसरी ओर, विद्वान शासकिय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है और यह अपील खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान शासकिय अधिवक्ता ने पीड़िता के बयान को, जिसमें आरोपियों का नाम लिया गया था, ठोस साक्ष्य के तौर पर पेश किया। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि डीएनए परीक्षण का न होना एक कमी है, लेकिन आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित नहीं करता है। यह भी तर्क दिया है कि पीड़िता का बयान और मेडिकल साक्ष्य अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को यथावत रखने के लिए पर्याप्त हैं।

9. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

10. इस न्यायालय के विचारार्थ पहला प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जिसमें पीड़िता को घटना के दिन 18 वर्ष से कम आयु का माना गया है, सही है या नहीं।

11. पीड़िता की आयु ज्ञात करने के लिए, यद्यपि अभियोग-1 पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि उसने कक्षा 8 तक पढ़ाई की है और उसकी जन्मतिथि 25.09.2000 है तथा घटना के समय उसकी आयु 17 वर्ष थी, परन्तु जिरह में उसने स्वीकार किया कि स्कूल अभिलेख के आधार पर उसने अपनी जन्मतिथि बताई थी, जबकि अस्पताल अभिलेख के अनुसार उसे अपनी जन्मतिथि याद नहीं है। इसके अतिरिक्त, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र (प्रदर्श डी-2 सी) में पीड़िता की जन्मतिथि 04.05.1999 अंकित है, जो उसके कथन का खंडन करता है। इसके अलावा, अपनी जिरह के पैरा 7 में, पीड़िता ने स्वीकार किया कि वह और उसका भाई जुड़वां हैं, लेकिन उसके भाई (पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के दाखिल खारिज रजिस्टर में उसके भाई की जन्मतिथि 20.07.1999 दर्ज है, जबकि इसके विपरीत, जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र में उसके भाई की जन्मतिथि 04.05.1999 दर्ज है। इसके अलावा, पीड़िता की माता, अभिवेदन-5 और पिता, अभिवेदन-6 ने पीड़िता की जन्मतिथि सही नहीं बताई है। इसके अलावा, यद्यपि प्राथमिक विद्यालय बोतल्दा के प्रभारी प्रधानाध्यापक पी.डब्ल्यू.-8 सदन लाल राठिया ने मूल दाखिल खारिज रजिस्टर में अंकित क्रमांक 1355 के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 25.09.2000 बताई है, किन्तु उन्होंने स्वीकार किया कि पीड़िता की उक्त जन्मतिथि उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी और उस समय वे प्रभारी प्रधानाध्यापक भी नहीं थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे यह कारण नहीं बता सकते कि किस आधार पर और किन दस्तावेजों के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि उक्त



दाखिल खारिज रजिस्टर (प्रत्यक्ष पी-18) में लिखी गई थी और उन्हें यह भी नहीं पता कि पीड़िता की वास्तविक जन्मतिथि क्या है।

12. उपरोक्त कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हालांकि पीड़िता की उम्र दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स.पी-18 सी) में 25.09.2000 दर्शाई गई है, लेकिन किस आधार पर उक्त दाखिल खारिज रजिस्टर में जन्मतिथि दर्ज की गई, इसका उल्लेख नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा जन्मतिथि साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पेश किया गया है। इसके अलावा, स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक पीडब्लू-8 सदन लाल राठिया ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने पीड़िता की जन्मतिथि उक्त दाखिल खारिज रजिस्टर में नहीं लिखी थी और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उस दस्तावेज में उसकी जन्मतिथि किस आधार पर लिखी गई थी। इसके अलावा, पीड़िता के बयान में उसकी सही जन्मतिथि के संबंध में भौतिक विसंगतियां हैं। यदि उपरोक्त गवाहों के बयानों के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की सही उम्र और जन्मतिथि साबित नहीं कर पाया है। इसलिए, पीड़िता की सही जन्मतिथि के संबंध में किसी विश्वसनीय या प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, यह मानना कठिन है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।

13. अलामेलु एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी विद्यालय द्वारा जारी और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाणपत्र, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। हालांकि, ऐसे दस्तावेज की स्वीकार्यता, पीड़िता की आयु सिद्ध करने के लिए, उस आधार पर आयु दर्ज करने वाले किसी भी साक्ष्य के अभाव में, बहुत अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य की नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि का तब तक कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति की जांच न कर ली जाए जिसने प्रविष्टि की थी या जिसने जन्मतिथि दी थी।

अलामेलु (सुप्रा) में अपने निर्णय के कंडिका 40, 42, 43, 44 और 48 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्र.पी16 इंगित करता है कि लड़की की जन्मतिथि 15 जून, 1977 थी। इसलिए, उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तिथि, यानी 31 जुलाई, 1993 को उसकी आयु 16 वर्ष (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) से अधिक होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक सरकारी स्कूल द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। हालांकि, इस तरह के दस्तावेज की स्वीकार्यता लड़की की उम्र साबित करने के लिए बहुत अधिक साक्ष्य मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि उस सामग्री के अभाव में जिसके आधार पर उम्र दर्ज की गई थी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि का तब तक कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति की जांच न कर ली जाए, जिसने प्रविष्टि की थी या जिसने जन्मतिथि दी थी।



42. किसी दस्तावेज में दर्ज तथ्यों को साबित करने के तरीके पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित 1 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"विद्यालय की रजिस्टर में उल्लिखित जन्मतिथि का तब तक कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति की जाँच न कर ली जाए जिसने प्रविष्टि की है या जिसने जन्मतिथि दी है....केवल इसलिए कि दस्तावेज एक्स. 8, 9, 10, 11 और 12 सिद्ध हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि दस्तावेजों की विषय-वस्तु भी सिद्ध हो गई है। दस्तावेज एक्स. 8, 9, 10, 11 और 12 का मात्र प्रमाण, दस्तावेजों में वर्णित सभी विषय-वस्तु या जन्मतिथि की सत्यता के प्रमाण के समान नहीं होगा। चूँकि तथ्य की सत्यता, अर्थात् हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि विवाद में थी, इसलिए उपरोक्त दो गवाहों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मात्र प्रमाण, दस्तावेजों के तथ्यों या विषय-वस्तु की सत्यता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है।

विवाद्यक तथ्य की सत्यता या असत्यता, अर्थात् दस्तावेजों में उल्लिखित दोनों अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जा सकती है, अर्थात् उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्यक तथ्य की सत्यता की पुष्टि कर सकें। प्रतिवादी द्वारा तथ्यों, अर्थात् हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि, की सत्यता सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में, उपरोक्त दस्तावेज 1988 (सप्लीमेंट) एससीसी 604 में उल्लिखित जन्मतिथियों का कोई सत्यापनीय मूल्य नहीं है और उनमें उल्लिखित जन्मतिथियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

43. इसी विधिक प्रस्ताव को इस न्यायालय ने नर्बदा देवी गुप्ता बनाम बीरेंद्र कुमार जायसवाल के मामले में दोहराया है, जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"यह विधिक स्थिति विवादास्पद नहीं है कि किसी दस्तावेज को न्यायालय द्वारा केवल प्रस्तुत करना और उसे प्रदर्श के रूप में अंकित करना ही उसकी विषय-वस्तु का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता। उसका निष्पादन स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात् "उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्यक तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकें।"

44. हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त साक्ष्य भार का निर्वहन नहीं किया गया है। पिता ने अपने साक्ष्य में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रधानाध्यापक से कोई पूछताछ नहीं की गई है। इसलिए, लड़की की आयु निश्चित रूप से निर्धारित करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में की गई प्रविष्टि पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

48. हम आगे यह भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, एक सार्वजनिक दस्तावेज का परीक्षण सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में समान मानक लागू करके किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4 के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:-

"स्कूल रजिस्टर में दर्ज किसी व्यक्ति की आयु या अन्य किसी भी तरह से विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे प्रवेश पाने के लिए; नियुक्ति पाने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह पंजीकरण के लिए; सीलिंग कानूनों के तहत एक अलग इकाई प्राप्त करने के लिए; और यहां तक कि एक सिविल फोरम में मुकदमा लड़ने के लिए भी, जैसे कि किसी अभिभावक द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहां कोई मुकदमा इस आधार पर दायर किया जाता है कि वादी नाबालिग होने के कारण उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था या उसकी ओर से किया गया कोई भी लेन-देन नाबालिग होने के कारण अमान्य था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे के किसी पक्षकार (2006) 5 □□□



584 की आयु निर्धारित करने के लिए न्यायालय को भी यही मानक लागू करना होगा। किसी अभियुक्त के मामले में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता, जैसा कि अपहरण या बलात्कार या इसी तरह के किसी अपराध के मामले में होता है, जहां पीड़िता या पीड़िता ने भले ही अभियुक्त के साथ सहमति व्यक्त की हो, लेकिन यदि विद्यालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त को दोषी ठहराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है।"

14. इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि पीड़िता घटना के दिन नाबालिग थी और उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। तदनुसार, हम निचली अदालत द्वारा दिए गए इस निष्कर्ष को खारिज करते हैं कि घटना के दिन पीड़िता नाबालिग थी और उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी।

15. अब, अगला प्रश्न यह होगा कि क्या अपीलकर्ता विचाराधीन अपराध के रचयिता हैं या नहीं?

16. पी.डब्ल्यू.-1 पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि घटना दिनांक को जब वह अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, तो रास्ते में उसी गांव में अशोक के घर के पास अभियुक्त रूपलाल उससे मिला और उसे अपने साथ चलने के लिए विवश किया गया। जब उसने मना किया तो अभियुक्तों ने उसका मुंह दबाया और उसके हाथ पकड़े तथा उसे जबरदस्ती अशोक के घर के पीछे शौचालय में ले गए। उसके बाद दोनों अभियुक्तों ने उसके कपड़े उतार दिए और एक-एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे वहां छोड़कर भाग गए। अपराध के समय वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभियुक्तों ने उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद वह अपने घर वापस आ गई और बिना खाना खाए सो गई और अगले दिन सुबह जब उसकी मां ने फिर पूछा तो उसने घटना के बारे में उसे बताया और उसके बाद उसकी मां ने पीड़िता के पिता को सूचित किया और बाद में मामला पुलिस में दर्ज किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी-1) और एफआईआर (एक्स.पी-6) दर्ज की गई है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि बोतल्दा गाँव एक बड़ा गाँव है और उसकी सहेली अंजू का घर और अशोक सारथी का घर बस्ती के बीच में है और मुख्य सड़क के दोनों ओर ग्रामीणों के घर भी हैं। उसने आगे स्वीकार किया कि इन दोनों घरों के बीच लगभग 30-40 घर हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि रोहित चौहान का घर अशोक सारथी के घर से सटा हुआ है और सड़क के दूसरी ओर राकेश उरांव और मोहरसाय उरांव का घर है। उसने यह भी स्वीकार किया कि जिस शौचालय में घटना हुई वह अशोक सारथी के घर के पीछे है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अशोक सारथी के घर के सामने की सड़क एक मुख्य सड़क है और वहाँ से आम लोगों का आना-जाना होता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना स्थल उबड़-खाबड़ मिट्टी और पत्थरों वाला क्षेत्र है। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय उसके कपड़े नहीं फटे थे, उसे कोई चोट या खरोंच नहीं आई थी और यहाँ तक कि आरोपियों को भी घटना के समय कोई चोट या खरोंच नहीं आई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अशोक सारथी, राकेश उरांव और सीताराम सारथी का घर उस शौचालय के पास था जहाँ यह घटना घटी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी उसके साथ 25-30 मिनट तक रहे थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने इस घटना के बारे में अशोक सारथी, सीताराम या अपने आस-पास के लोगों को नहीं बताया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि बोतल्दा गाँव से पुलिस स्टेशन 3-4 किलोमीटर दूर है और घटना के तीसरे दिन उसने आरोपियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराई थी। उसने इस बात से इनकार किया कि आरोपियों का इस घटना से पहले कोटवार के साथ झगड़ा हुआ था और उसने अपने कोटवार भाई के कहने पर थाने में



आरोपियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उक्त घटना के कारण वह गर्भवती हो गई और 25.11.2018 को एक लड़के को जन्म दिया था।

17. इस प्रकार, पीड़िता के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपराध के संबंध में पीड़िता (पीडब्लू-1) के बयान में भौतिक विसंगतियां हैं। इसके अलावा पीड़िता के बयान में आया है कि उसकी सहेली अंजू का घर और अशोक सारथी का घर बस्ती के बीच में है और मुख्य सड़क के दोनों ओर ग्रामीणों के 30-40 घर हैं और रोहित चौहान का घर अशोक सारथी के घर से सटा हुआ है और सड़क के दूसरी ओर राकेश उरांव और मोहरसाय उरांव का घर है और जिस शौचालय में घटना घटी वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने अशोक सारथी के घर के पीछे है और अशोक सारथी के घर के सामने की सड़क मुख्य सड़क है और आम लोगों का रास्ता है, तो ऐसे में अपीलकर्ता उसे जबरन कैसे ले जा सकते हैं और उसके साथ बारी-बारी से यौन संबंध बना सकते हैं और ऐसी स्थिति में पीड़िता को अपीलकर्ताओं द्वारा जबरन ले जाए जाने के बारे में शोर मचाना चाहिए था, लेकिन पीड़िता ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा, पीड़िता द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के बाद, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने उसे छोड़ दिया था, वह अपने घर आकर सो गई और बार-बार पूछताछ के कारण उसकी माँ को घटना की जानकारी दी गई। पीड़िता अपने परिवार वालों को उसी रात घटना की सूचना दे सकती थी, जब अपीलकर्ताओं ने उसे छोड़ दिया था, जो उसकी ओर से स्वाभाविक होता। इसके अलावा, घटनास्थल मानचित्र एक्स.पी-1 से पता चलता है कि घटनास्थल के पास कई घर हैं और लोग वहाँ रहे होंगे और ऐसी स्थिति में, वह शोर मचा सकती थी ताकि अन्य लोगों को घटना के बारे में पता चल सके और उसे बचाया जा सके, हालाँकि, उसने ऐसा नहीं किया, जिससे उसका बयान संदिग्ध हो जाता है। इसके अलावा, यदि पीड़िता के यौन उत्पीड़न के संबंध में उसके बयान को वैसे ही लिया जाए, तो उसने प्रतिरोध किया होगा और प्रतिरोध के दौरान उसे चोटें आई होंगी, हालाँकि, उसके शरीर पर न तो आंतरिक और न ही बाहरी रूप से कोई चोट पाई गई, जैसा कि पीडब्लू-3 डॉ. हेमलता राठिया के बयान से स्पष्ट है। इसके अलावा, उन्होंने (पीडब्लू-3 डॉ. हेमलता राठिया) राय दी है कि पीड़िता संभोग की आदी थी, लेकिन हाल ही में हुए संभोग के संबंध में कोई निश्चित राय उसने नहीं दी और पीड़िता ने भी स्वीकार किया कि न तो उसे और न ही आरोपी व्यक्तियों को शरीर पर कोई चोट आई है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि घटना 21.01.2018 को शाम लगभग 6:30 बजे हुई थी और समय पर कोई त्वरित एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, हालाँकि, एफआईआर (एक्स.पी-6) 24.01.2018 को 14:10 बजे दर्ज की गई थी अभियोजन पक्ष को स्पष्टीकरण देना ज़रूरी था, लेकिन 24 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। बिना पर्याप्त कारण बताए एफआईआर दर्ज करने में देरी भी अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाती है।

18. इसके अलावा, पीडब्लू-3, डॉ. हेमलता राठिया ने पीड़िता की जांच की और पीड़िता के साथ हाल ही में जबरन यौन संबंध बनाने का कोई संकेत नहीं मिला और न ही पीड़िता के शरीर पर आंतरिक या बाहरी रूप से कोई चोट मिली। जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया कि एक्स.डी-3 (सोनोग्राफी रिपोर्ट) के आधार पर, उन्होंने पुष्टि की कि पीड़िता 32 सप्ताह और 3 दिन की गर्भवती थी और कहा कि उसकी डिलीवरी की तारीख 15.12.2018 थी, लेकिन उससे पहले, 25.11.2018 को, पीड़िता ने प्रसव किया था। हालाँकि गर्भावस्था की पुष्टि हो गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष गर्भधारण के समय को निर्णायक रूप से निर्धारित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, बाहरी चोटों या हिंसक यौन हमले के संकेतों की अनुपस्थिति जबरन बलात्कार के आरोप के बारे में और संदेह पैदा करती है। इसके अलावा, सबूत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आरोपी व्यक्तियों और गर्भावस्था के बीच संबंध स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष ने पितृत्व का निर्धारण करने और अभियुक्तों की संलिप्तता की पुष्टि करने के लिए, पीड़िता या भ्रूण (या बाद में जन्मे बच्चे) का डीएनए



परीक्षण न कराने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। गर्भावस्था मामले का एक प्रमुख पहलू होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष इस आवश्यक वैज्ञानिक जाँच को करने में विफल रहा।

19. छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 6 एससीसी 742 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-80 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"80. यह कहने के बाद कि धारा 53 ए अनिवार्य नहीं है, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के कंडिका 54 में पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है। कंडिका 54 इस प्रकार है: (राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 12 एससीसी 460 एससीसी पृष्ठ 485)

"54. अभियोजन पक्ष द्वारा डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, खासकर तब जब देश में डीएनए प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष को इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से धारा 53 ए और धारा 164 ए सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत। हम यह सुझाव देने की हद तक नहीं जा रहे हैं कि यदि डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है, तो अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा निश्चित रूप से यह मानना है कि जहां डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे विचारण न्यायालय से रोक दिया गया है, वहां अभियोजन पक्ष के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे।"

20. कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 130 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-44 में निम्नलिखित निर्णय दिया है: ---

"44. अब, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 53 (ए) के 23.06.2006 से शामिल किए जाने के बाद, अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे मामलों में डीएनए परीक्षण करवाना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में सुविधा होगी। 2006 से पहले, सीआरपीसी में उपरोक्त विशिष्ट प्रावधान के बिना भी, अभियोजन पक्ष डीएनए परीक्षण या विश्लेषण करवाने और अपीलकर्ता के वीर्य का मिलान अभियुक्ता के अंतर्वस्त्रों पर पाए गए वीर्य से करने की इस प्रक्रिया का सहारा ले सकता था ताकि यह एक पुख्ता मामला बन सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।"

21. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टावेल्डई @ दिवाकर बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सीआरए संख्या 1672/2019 में, जिसे 2025 लाइव लॉ (एससी) 703 में भी रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

"30. उपरोक्त विभिन्न कमियों को देखते हुए, तार्किक प्रश्न यह उठता है कि स्वाब कहाँ थे?; उन्हें फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए देर से क्यों भेजा गया?; क्या उन्हें ठीक से संग्रहीत किया गया था?; क्या पुलिस स्टेशन का मालखाना, जहाँ कुछ गवाहों के अनुसार उन्हें रखा गया था, पर्याप्त रूप से सुसज्जित था या नहीं; यदि उन्हें अस्पताल में रखा गया था, तो क्या यह सुनिश्चित किया गया था कि स्टाफ का कोई अन्य सदस्य उन तक न पहुँच सके?; वे किसकी हिरासत में थे?; यदि स्वाब क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो महत्वपूर्ण साक्ष्यों के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, आदि। न्यायिक मजिस्ट्रेट, उथमपलायम द्वारा 13 जून, 2011 को पारित आदेश के परिणामस्वरूप अभियुक्त से लिए गए वीर्य के नमूने के संबंध में भी इसी तरह के प्रश्न उठते हैं। पीडब्लू-56 में कहा गया है कि उक्त नमूने 16 जून, 2011 को एफएसएल, चेन्नई भेजे गए थे, लेकिन बाद में वापस कर दिए गए। यह फिर से स्पष्ट नहीं है कि 13 और 16 जून 2011 के बीच ऐसे नमूने क्यों संग्रहीत किए गए थे; उनका प्रभारी कौन था और क्या उसने उन्हें सुरक्षित रखा था?; उन्हें कैसे और किस स्थिति में भेजा गया था; दुर्भाग्यवश उन्हें कब और क्यों वापस किया गया, इन सभी प्रश्नों का रिकॉर्ड में कोई उत्तर नहीं मिलता है।



31. अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 69 में इस न्यायालय ने कहा कि डीएनए प्रोफाइल का आपराधिक जांच पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। डीएनए प्रोफाइल मान्य और विश्वसनीय है, लेकिन यह प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करता है। हम इस स्थिति में यह भी जोड़ सकते हैं कि प्रयोगशाला के बाहर गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रियाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि यह सुनिश्चित करने में कि एकत्रित नमूनों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें डीएनए साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद, इस कारण से खारिज कर दिए गए हैं कि संबंधित डॉक्टर द्वारा संग्रह के दौरान और बाद में, प्रयोगशाला में ले जाते समय, प्रयोगशाला के अंदर और उससे प्राप्त परिणामों को जिस तरह से संभाला गया, वह सर्वोत्तम संभव प्रथाओं के अनुरूप नहीं है, जो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होंगी कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नमूने शुद्ध, स्वच्छ और जैविक रूप से उपयुक्त परिस्थितियों में रहें।

34. प्रकाश निषाद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) 16 एससीसी 357 एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या से संबंधित मामला था। वर्तमान मामले की तरह, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर, पुलिस को नाबालिग पीड़िता के योनि स्मीयर पर अपीलकर्ता के कुछ वस्त्र और वीर्य के निशान मिले, जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया जाना था। डीएनए साक्ष्य को इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना था कि नमूने एफएसएल को भेजने में देरी हुई थी, जो कि अस्पष्ट थी। यह देखा गया कि देरी के कारण, संदूषण की सहवर्ती संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। संबंधित प्रयोगशालाओं को नमूने भेजने में शीघ्रता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था।

35. यह मामला, संयोगवश, यदि दुर्भाग्यवश नहीं, तो उपरोक्त जैसा ही एक और मामला है। डीएनए साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद, इसे इस कारण खारिज करना पड़ा कि अपीलकर्ता-दोषी की दोषसिद्धि के दौरान साक्ष्यों के संग्रह, सीलिंग, भंडारण और उपयोग में उचित विधियों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। जैसा कि हमने देखा है, डीएनए को काफी हद तक विश्वसनीय माना गया है, भले ही यह साक्ष्य केवल प्रमाणिक मूल्य का हो, बशर्ते कि इसका उचित ढंग से निपटारा किया जाए। पिछले दशकों में, दुनिया भर के कई क्षेत्रों में डीएनए साक्ष्य की सहायता से कई मामले अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। यह भी उतना ही सच है कि इस तकनीक में हुई प्रगति के कारण गलत तरीके से दोषी ठहराए गए कई व्यक्तियों को अंततः न्याय मिला है और उन्हें निर्दोष घोषित किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी प्रगति के साथ-साथ, हमारे पास अभी भी ऐसे मामले हैं जहाँ साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद, इसे इस कारण खारिज करना पड़ा है कि संबंधित व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हों या अन्वेषक, ऐसे संवेदनशील साक्ष्यों के संचालन में लापरवाही बरत रहे हैं।

22. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में, साक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों और पीड़िता की गर्भावस्था के बीच संबंध स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था। यह चूक महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सामूहिक बलात्कार के एक मामले में जहाँ गर्भावस्था शामिल है। अभियोजन पक्ष ने पितृत्व निर्धारित करने और अभियुक्तों की संलिप्तता की पुष्टि करने के लिए, पीड़िता या भ्रूण (या बाद में जन्मे बच्चे) पर डीएनए परीक्षण न कराने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए, यह स्थापित नहीं किया जा सका कि यह अपीलकर्ताओं का था, इस प्रकार यह अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता है। यहां तक कि अगर अभियोजन पक्ष की कहानी को वैसे ही लिया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए, पीड़िता ने बाद में अपने बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। अभियोक्ता का आचरण भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है, इसलिए, अपीलकर्ताओं को संबंधित प्रथम दृष्टया अपराधी मानने के लिए उसके



बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष भी संबंधित अपराध को साबित करने में विफल रहा है और अभियोजन पक्ष भी यह साबित करने के लिए कोई ठोस और निर्णायक सबूत पेश करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता संबंधित अपराध के रचयिता हैं। अतः, अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

23. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता दिलेश निषाद और रूपलाल यादव दोषमुक्ति के पात्र हैं और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराने और दण्डित करने का निर्णय पूर्णतः अनुचित है। अतः, अपीलकर्ता उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्ति के पात्र हैं। तदनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.06.2019 का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

24. परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन पर लगाये गये दंड को अपास्त किया जाता है। उनके खिलाफ लगाए गए उक्त आरोप से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं के जेल में होने की सूचना है, हम निर्देश देते हैं कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए।

25. धारा 437-ए सीआरपीसी के अनुपालन में, दोनों अपीलकर्ताओं को संबंधित न्यायालय के समक्ष ₹25,000/- का निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यह मुचलका छह महीने के लिए प्रभावी होगा और इसमें एक वचनबद्धता शामिल होगी कि इस निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्रदान करने की स्थिति में, अपीलकर्ता नोटिस प्राप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

26. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रति सहित तत्काल विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित करे।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

